कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्याः एम0ई0–3 / पी0जी0–2024 / 2890 लखनऊःदिनांक 19/12/ 2024

यू0पी0 नीट पी0जी0–2024 के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित / पुनरावंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

1. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजो की सीटों पर आवंटित / पुनरावंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित मेडिकल कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय / चिकित्सालय स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।
2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो की सीटों पर आवंटित / पुनरावंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टरो पर करायी जायेगी।
3. आवंटित / पुनरावंटित अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
4. आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश के समय मूल शैक्षणिक / श्रेणी / उपश्रेणी एवं अन्य प्रमाण–पत्रो को प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
5. निजी क्षेत्र के कालेजो मे आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थी से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, लिया जायेगा। यदि निजी क्षेत्र के कालेज प्रबन्धन द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम शिक्षण शुल्क लिया जाता है, तो उसके लिये स्वतंत्र हैं। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण–शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट dgme.up.gov.in एवं upneet.gov.in पर उपलब्ध हैं।
6. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में पुनरावंटन के पश्चात् आवंटित कालेज एवं प्रथम चक्र में आवंटित कालेज / पाठ्यक्रम के शिक्षण शुल्क में यदि किसी प्रकार की भिन्नता अर्थात् शिक्षण शुल्क कम होता हैं, तो अधिक जमा किये गये शिक्षण शुल्क आवंटित कालेज को प्रेषित कर दी जायेगी तथा यदि कालेज का शिक्षण शुल्क अधिक होता हैं, तो अन्तर की धनराशि (Difference amount) का बैंक ड्राफ्ट नोडल सेन्टर पर जमा किया जायेगा।
7. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को कालेज स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराना अनिवार्य है।
8. एम0सी0सी0, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2024–25 हेतु पी0जी0 सत्र प्रारम्भ होने की तिथि 20.12.2024 निर्धारित की गयी हैं।

कृते महानिदेशक।